मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन,भोपाल–462004

क्रमांक एफ–10–15/2010/1/4 भोपाल,दिनांक 28 फरवरी, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषयः– मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी शौर्य अलंकरण प्राप्तकर्ताओं को राज्य शासन की ओर से दी जाने वाली नगद अनुदान एवं भूमि के बदले दी जाने वाली राशि में वृद्धि बाबत ।

राज्य शासन, शौर्य पारितोषिक प्राप्तकर्ताओं को नगद अनुदान तथा भूमि के एवज में दी जाने वाली नगद अनुदान राशि के संबंध में इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक एम 10–11/1993/1/4 दिनांक 5/19 दिसम्बर 1996 को निरस्त करते हुए मध्यप्रदेश के स्थायी निवासी शौर्य अलंकरण प्राप्तकर्ताओं को, निम्नानुसार दरों पर अनुदान राशि/मासिक अनुदान/भूमि के एवज में नगद राशि प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान करता है:–

स0क्र0	शौर्य पारितोषिक का नाम(शौर्य अलंकरण श्रृखला)	अनुदान राशि तथा भूमि के एवज में दी जाने वाली एक मुश्त राशि	मासिक अनुदान
1	परमवीर चक्र	रूपये 20,00,000	रूपये 5,000
2	अशोक चक्र	रूपये 20,00,000	रूपये 4,000
3	महावीर चक्र	रूपये 12,00,000	रूपये 4,000
4	कीर्ति चक्र	रूपये 12,00,000	रूपये 2,500
5	वीर चक्र	रूपये 8,00,000	रूपये 2,500
6	शौर्य चक्र	रूपये 8,00,000	रूपये 1,500

/2 निरन्तर

युध्द सेवा मेडल श्रृखला

1	सर्वोत्तम युद्ध सेवा	रूपये 1,45,000	निरंक
2	उत्तम युद्ध सेवा मेडल	रूपये 1,40,000	निरंक
3	युद्ध सेवा मेडल	रूपये 0,80,000	निरंक
4	सेना, नौ सेना वायु सेना मेडल	रूपये 50,000	निरंक
5	मेन्शन इन डिस्पेचेज	रूपये 0,12,000	निरंक

2/ शौर्य अलंकरण श्रृखंला तथा युध्द सेवा मेडल श्रृखंला के अन्तर्गत किसी भी मेडल प्राप्तकर्ता सैनिक को भूमि का आवंटन नही किया जावेगा ।

3/ उपरोक्त दर्शाऐं सभी अनुदान इस आदेश जारी होने की तिथि के पश्चात के शौर्य अलंकरण/युध्द सेवा श्रृखला मेडल प्राप्तकर्ताओं को ही लागू होंगे तथा इस दिनांक के पूर्व के सभी प्रकरण जो अन्यथा निपटाऐ गये है पुनः नही खोले जायेगें ।

4/ मरणोपरांन्त शौर्य अलंकरण प्राप्तकताओं को निम्नानुसार अनुदान वितरित किया जावेगाः-

विधवा को 35 प्रतिशत, बच्चों को 35 प्रतिशत शेष अनुदान राशि 30 प्रतिशत माता पिता को । माता पिता के जीवित न होने की स्थिति में उक्त राशि विधवा एवं बच्चों में बराबर बॉटा जावेगा । बच्चे न होने पर अनुदान राशि विधवा एवं माता पिता को क्रमशः 50-50 प्रतिशत तथा माता-पिता एवं बच्चे जीवित नहीं होने पर पूर्ण राशि विधवा को दी जावेगी । यदि बच्चे नाबालिग है तो उनके अनुदान राशि को बालिग होने तक सावधि जमा के रूप में रखा जायेगा तथा सावधि जमा पर प्राप्त होने वाला ब्याज भी जिले में पदस्थ कलेक्टर के अनुमति के बिना नही निकाला जा सकेगा । यदि सावधि जमा पर देय ब्याज निकाला जाता है तो जिले के कलेक्टर को इस बात से अवगत कराना होगा कि उक्त राशि नाबालिग बच्चे के हित में खर्च की गई है ।

5/ यदि मरणोंपरान्त शौर्य अलंकरण प्राप्तकर्ता अविवाहित है तो पूर्ण अनुदान राशि माता पिता को प्रदान की जावेगी । माता पिता के जीवित न होने की स्थिति में यह अनुदान राशि अविवाहित बहन एवं भाई को बराबर-बराबर दी जावेगी ।

6/ उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय मॉग संख्या-2 लेखा शीर्ष-2250-अन्य - सामाजिक सेवाऍं (800) अन्य व्यय (258) अन्य संस्थाओं को अनुदान-14 आर्थिक सहायता/ सहायक अनुदान आयोजनेत्तर मद से विकलनीय होगा।

निरन्तर

-3-
-2040

7/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग के यू0ओ0क्र0 788/1090/बी-8/चार/10 दिनांक 01.09.2010 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अरूण तिवारी)
सचिव
म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क्रमांक एफ-10-15/2010/1/4 भोपाल,दिनांक 28 फरवरी, 2011

प्रतिलिपिः-

1. सचिव, भारत सरकार, गृह/रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली ।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 विधानसभा सचिवालय, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त/गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
5. राज्यपाल के सचिव, म0प्र0 राजभवन, भोपाल ।
6. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल ।
7. निज सचिव/निज सहायक, माननीय मंत्री/राज्य मंत्रीगण, म0प्र0 ।
8. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
9. मुख्य लेखा अधिकारी, मंत्रालय, भोपाल ।
10. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश
11. संचालक, सैनिक कल्याण संचालनालय, टी0टी0 नगर, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

205

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्य प्रदेश

पृष्ठ. क्रमांक / समन्वय / डी / 45 / 2009--2010 / 61 भोपाल,दिनांक 26 मार्च 2011
प्रतिलिपिः–

1. सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत मध्यप्रदेश ।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म.प्र.
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
5. सयुक्त संचालक लोक शिक्षण विधि प्रकोष्ठ जबलपुर,इन्दौर,भोपाल।
6. जिला शिक्षा अधिकारी विधि प्रकोष्ठ ग्वालियर ।
7. प्राचार्य,शासकीय तात्याटोपे शिक्षा महाविद्यालय,शिवपुरी।
8. योग विभागाध्यक्ष, योग प्रशिक्षण केन्द्र ,1464 टी.टी.नगर,भोपाल।
9. अधीक्षक वैद्यशाला उज्जैन मध्यप्रदेश ।
10. मुख्य पुस्तकालय इन्दौर ,भोपाल रीवा एंव ग्वालियर मध्यप्रदेश ।
11. प्रादेशिक सचिव भारत स्कउट एंव गाइड एसोसिएशन भोपाल ।
12. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ मध्यप्रदेश ।
13. समस्त अधिकारी अधीक्षक ,सहायक अधीक्षक लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश की और सूचनार्थ एंव आवश्क कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण,मध्य प्रदेश